

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ0ग0)

दूरभाष :- 07727-223697

// आदेश //

(Email-deo-balodabazar.cg@nic.in)

क्र. 382/सा.निर्वा./SIR/2025

बलौदाबाजार, दिनांक 28.11.2025

तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पलारी का पत्र क्रमांक 92/तह./निर्वा./SIR/2025 पलारी दिनांक 21.11.2025 से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार भाग संख्या 379 बम्हनी में नियुक्त बूथ लेवल अधिकारी श्री प्रितम कुमार ध्रुव, सहायक शिक्षक (एलबी) शा.प्रा.शा.बम्हनी द्वारा निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 2026 हेतु गणना पत्रक वितरण/वापसी पश्चात गणना पत्रक को BLO App के माध्यम से ऑनलाईन एन्ट्री का कार्य नहीं किया जा रहा है।

तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पलारी का पत्र क्र. 63/तह./कानू./निर्वा./2025 दिनांक 14.11.2025 अनुसार श्री प्रितम कुमार ध्रुव, सहायक शिक्षक (एलबी) को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिसका जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया गया तथा बूथ सुपरवाइजर के द्वारा गणना पत्रक एन्ट्री करने के लिए मौखिक निर्देश दिया गया लेकिन श्री प्रितम कुमार ध्रुव के द्वारा अभद्र शब्दों का प्रयोग कर SIR कार्य करने से इंकार किया गया। जिसके कारण विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 2026 का कार्य विलम्ब एवं बाधित हुआ है।

उनका यह कृत्य SIR जैसे महत्वपूर्ण कार्य के प्रति लापरवाही एवं उच्च कार्यालय द्वारा दिये गये आदेशों का अवहेलना है तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 ख (2) तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 नियम 9(1) के खण्ड(क) के तहत भाग संख्या 379 बम्हनी में नियुक्त बूथ लेवल अधिकारी श्री प्रितम कुमार ध्रुव, सहायक शिक्षक (एलबी) शा.प्रा.शा.बम्हनी को तत्काल प्रभाव से निलंबन किया जाता है तथा इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पलारी में नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अनुमोदित)

उप जिला निर्वाचन अधिकारी
वास्ते-जिला निर्वाचन अधिकारी
बलौदाबाजार-भाटापारा (छ0ग0)

बलौदाबाजार, दिनांक 28.11.2025

पृ.क्र. 383/सा.निर्वा./SIR/2025

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (छ.ग.) रायपुर को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. जिला शिक्षा अधिकारी बलौदाबाजार को सूचनार्थ।
3. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं ERO कसडोल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पलारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. तहसीलदार एवं AERO पलारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पलारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. सर्व संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. श्री प्रितम कुमार ध्रुव, सहायक शिक्षक (एलबी) शा.प्रा.शा.बम्हनी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी
वास्ते-जिला निर्वाचन अधिकारी
बलौदाबाजार-भाटापारा (छ0ग0)

**कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ0ग0)**

दूरभाष :- 07727-223697

// आदेश //

(Email-deo-balodabazar.cg@nic.in)

क्र./ 384/ सा.निर्वा./ SIR / 2025

बलौदाबाजार, दिनांक 28-11.2025

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी भाटापारा का पत्र क्र. 1225/अ.वि.अ./सा.निर्वा./2025 भाटापारा दिनांक 24.11.2025 से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार भाग संख्या 150-भाटापारा में नियुक्त अभिहित अधिकारी श्री अजय प्रकाश बंजारे, शिक्षक, ईतवारी राम यादव शा.पू.मा.शा. भाटापारा द्वारा निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 2026 कार्य में रुचि नहीं लिया जा रहा है। जिससे गणना पत्रक डिजिटाइजेशन की प्रगति बहुत कम है। जिसके कारण विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का कार्य विलम्ब एवं बाधित हुआ है।

उनका यह कृत्य SIR जैसे महत्वपूर्ण कार्य के प्रति लापरवाही एवं उच्च कार्यालय द्वारा दिये गये आदेशों का अवहेलना है तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 ख (2) तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 नियम 9(1) के खण्ड(क) के तहत भाग संख्या 150-भाटापारा में नियुक्त अभिहित अधिकारी श्री अजय प्रकाश बंजारे, शिक्षक, ईतवारी राम यादव शा.पू.मा.शा. भाटापारा को तत्काल प्रभाव से निलंबन किया जाता है तथा इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी भाटापारा में नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अनुमोदित)

उप जिला निर्वाचन अधिकारी
वास्ते-जिला निर्वाचन अधिकारी
बलौदाबाजार-भाटापारा (छ0ग0)

पृ.क्र./ 385/ सा.निर्वा./ SIR / 2025

बलौदाबाजार, दिनांक 28-11.2025

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (छ.ग.) रायपुर को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. जिला शिक्षा अधिकारी बलौदाबाजार को सूचनार्थ।
3. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं ERO भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. तहसीलदार एवं AERO भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. सर्व संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. श्री अजय प्रकाश बंजारे, शिक्षक, ईतवारी राम यादव शा.पू.मा.शा.भाटापारा को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी
वास्ते-जिला निर्वाचन अधिकारी
बलौदाबाजार-भाटापारा (छ0ग0)

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ0ग0)

दूरभाष :- 07727-223697

// आदेश //

(Email-deo-balodabazar.cg@nic.in)

क्र./ 388/ सा.निर्वा./ SIR/ 2025

बलौदाबाजार, दिनांक 28, 11.2025

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी भाटापारा का पत्र क्र. 1226/अ.वि.अ./सा.निर्वा./2025 भाटापारा दिनांक 24.11.2025 से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार भाग संख्या 131-निपनिया में नियुक्त अभिहित अधिकारी श्रीमति द्रोपती ध्रुव, सहा. शिक्षक, शा.प्रा.शा.निपनिया द्वारा निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 2026 कार्य हेतु रुचि नहीं लिया जा रहा है। जिससे गणना पत्रक डिजिटाइजेशन की प्रगति बहुत कम है। जिसके कारण विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का कार्य विलम्ब एवं बाधित हुआ है।

उनका यह कृत्य SIR जैसे महत्वपूर्ण कार्य के प्रति लापरवाही एवं उच्च कार्यालय द्वारा दिये गये आदेशों का अवहेलना है तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 ख (2) तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होने के फलरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 नियम 9(1) के खण्ड(क) के तहत भाग संख्या 131-निपनिया में नियुक्त अभिहित अधिकारी श्रीमति द्रोपती ध्रुव, सहा. शिक्षक, शा.प्रा.शा. निपनिया को तत्काल प्रभाव से निलंबन किया जाता है तथा इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी भाटापारा में नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अनुमोदित)

CIVIL INDIA
NEWS NETWORK

उप जिला निर्वाचन अधिकारी
वास्ते-जिला निर्वाचन अधिकारी
बलौदाबाजार-भाटापारा (छ0ग0)

बलौदाबाजार, दिनांक 28, 11.2025

पृ.क्र./ 389/ सा.निर्वा./ SIR/ 2025
प्रतिलिपि :-

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (छ.ग.) रायपुर को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. जिला शिक्षा अधिकारी बलौदाबाजार को सूचनार्थ।
3. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं ERO भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. तहसीलदार एवं AERO भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. सर्व संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. श्रीमति द्रोपती ध्रुव, सहा. शिक्षक, शा.प्रा.शा. निपनिया को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी
वास्ते-जिला निर्वाचन अधिकारी
बलौदाबाजार-भाटापारा (छ0ग0)